स्वर्णिम

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्र0/बोर्ड/विविध/जन./1/मा.बै./2023-24/ 1548 भोपाल, दिनांक 17/10/2023

प्रति,

संयुक्त संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय- (समस्त)

विषयः-माननीय उच्च न्यायालयों में मण्डी बोर्ड/मंडी समिति के लंबित/विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों के संबंध में ।

--000--

म.प्र. शासन एवं मंडी बोर्ड के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में पक्ष समर्थन करने हेतु सम्बंधित आंचलिक कार्यालय के संयुक्त संचालक/उपसंचालक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है । OIC नामित करने संबंधी आदेश में OIC के पूर्ण दायित्व एवं कर्तव्य उल्लेखित हैं ।

कतिपय रूप से प्रतिवादी की अनुपस्थिति अथवा समय-सीमा में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मंडी बोर्ड/मंडी समिति के विरुद्ध आदेश प्रसारित होने तथा कई प्रकरणों में म.प्र. शासन की ओर से प्रत्यावर्तन प्रस्तुत न होने की स्थिति भी पायी गई है, जो कि उचित नहीं है । OIC के रूप में आपका दायित्व है, कि आप प्रकरण से सम्बंधित समस्त अभिलेखों के आधार पर अधिवक्ता के माध्यम से सशक्त प्रत्यावर्तन तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करावें । अतः पुनः निर्देशित किया जाता है, कि-

1. माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में यदि मंडी बोर्ड/ मंडी समिति के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया है, तो स्थगन रिक्त कराने संबंधी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायें ।
2. जिन प्रकरणों में शासन अथवा मंडी बोर्ड/मंडी समिति की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं है, उनमें तत्काल जवाबदावा प्रस्तुत किया जायें ।
3. प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रतियां आगामी कार्यवाही के संबंध में अधिवक्ता के स्पष्ट अभिमत के साथ प्रेषित किया जायें ।
4. ऐसे प्रकरण, जिनमें राजस्व वसूली निहित हो, उनमें त्वरित सुनवाई का निवेदन प्रस्तुत किया जायें ।
5. माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट एवं अधिवक्ता से संपर्क में रहकर न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति एवं नियत पेशी दिनांक की जानकारी से अद्यतन रहकर प्रकरणों की

साप्ताहिक मॉनिटरिंग की जायें । कार्य की अधिकता के कारण संयुक्त संचालक स्तर पर स्वयं साप्ताहिक समीक्षा में कठिनाई होने पर आंचलिक कार्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी/कर्मचारी नामित किया जाकर, उनके संपर्क विवरण मुख्यालय को उपलब्ध कराये जा सकते हैं ।

6. वर्तमान में मंडी बोर्ड द्वारा अधिवक्ता पैनल निर्धारित किया गया है । पैनल के अधियक्ताओं से समन्वय स्थापित कर नवीन दायर याचिकाओं के संबंध में Vigilant रहते हुए प्रयास किया जावे कि मंडी बोर्ड/मंडी समिति के विरुद्ध ex-parte आदेश पारित होने की स्थिति निर्मित न हो।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का सतत् रूप से पालन करते हुए अद्यतन स्थिति की जानकारी एवं प्रतिवेदन मासिक रूप से Excel Sheet एवं हार्ड कॉपी में मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

(गौतम सिंह, IAS)
अपर संचालक, (विधि)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्र0/बोर्ड/विविध/जन./1/मा.बै./2023-24/ 1549 भोपाल, दिनांक 17/10/2023

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
2. अपर संचालक (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
3. सचिव कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)..........................जिला.................की ओर उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ।
4. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक, (विधि)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल